



2026:AHC:167161

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 5894 वर्ष 2025

साहेब लाल पांडे

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अवनीश कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, रज्जन सिंह यादव

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री रज्जन सिंह यादव तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री नीरज कुमार शर्मा को सुना। अभिलेख में मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन प्रकरण अपराध संख्या 125 वर्ष 2024, धारा 147, 148, 149, 323, 308, 307 भारतीय दंड संहिता के तहत, थाना हांडिया जिला प्रयागराज में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना के अनुसार, आवेदक पर आठ नामजद आरोपियों के साथ मिलकर पांच व्यक्तियों, नारायणधर पांडे, शांति देवी, प्रभाकर पांडे, दिवाकर पांडे और मानसी देवी पर हमला करने का आरोप है। आवेदक के खिलाफ अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए गए हैं। दिनांक 19.08.2025 की सी.डी. संख्या 30 के अनुसार, घायल नारायणधर पांडे को पांच चोटें आईं। चोट संख्या 2 से 5 मामूली थीं, जबकि चोट संख्या 1 को एक्स-रे जांच के लिए भेजा गया था। घायल शांति देवी को एक मामूली चोट आई थी। घायल प्रभाकर पांडे को दो चोटें आईं। चोट संख्या 1 को एक्स-रे जांच के लिए भेजा गया था, जबकि चोट संख्या 2 मामूली थी। घायल दिवाकर पांडे को चार चोटें आईं। चोट संख्या 1, 3 और 4 मामूली थीं, जबकि चोट संख्या 2 को एक्स-रे जांच के लिए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भेजा गया था। घायल मानसी देवी को दो मामूली चोटें आईं। प्रकरण डायरी में कोई एक्स-रे सूचना या पूरक चिकित्सा सूचना उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर के बयान के अनुसार, प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर कर दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि इस स्तर पर चोटों की सटीक प्रकृति का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, विवेचना पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। विवेचना के दौरान, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.7.2025 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 5894 वर्ष 2025 (साहेब लाल पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश के माध्यम से पुलिस सूचना प्रस्तुत होने तक आवेदक को अग्रिम जमानत दी गई थी। आवेदक ने विवेचना में सहयोग किया था। आवेदक को संबंधित न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। किसी प्रकार की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, आवेदक ने अग्रिम जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और न ही इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास जमानत आवेदन के प्रस्तर संख्या 22 में स्पष्ट किया गया है। आवेदक को उपरोक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी का डर है। यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन वे अभिलेख से उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

5. प्रस्तुत दलीलों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक के पूर्ववृत्त और आवेदक को सौंपी गई अस्पष्ट भूमिका को ध्यान में रखते हुए, तीनों घायलों की चोटों की प्रकृति से स्पष्ट है कि हत्या का कोई इरादा नहीं था। विवेचना पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। विवेचना के दौरान, पुलिस सूचना प्रस्तुत होने तक आवेदक को अग्रिम जमानत दी गई थी। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत की शर्तों के उल्लंघन या स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई संकेत नहीं दिया गया है। आवेदक ने विवेचना में सहयोग किया है; आवेदक को संबंधित न्यायालय द्वारा तलब किया गया है, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है; प्रकरण की खूबियों पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक अग्रिम जमानत का हकदार है।

6. गिरफ्तारी की स्थिति में, उपरोक्त प्रकरण में शामिल आवेदक **साहेब लाल पांडे** को मुकदमे की सुनवाई के दौरान 500 रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।



50,000/- रुपये की जमानत राशि के साथ दो जमानती, प्रत्येक जमानती इतनी ही राशि का, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रस्तुत की जाएगी:-

- (i) आवेदक संबंधित न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा;
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा;
- (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है तो उसे संबंधित न्यायालय में जमा करना होगा।

7. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय उसे लागू करने और बाध्य करने के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।

8. आवेदन का निस्तारण कर दिया गया है।

10 अगस्त, 2026

मनीष कुमार

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)